समाहरणालय, शेखपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

अति अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन

विज्ञापन संख्या– 01/2025–26

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1070/खाद्य, दिनांक 13.03.2023, पत्रांक 1663/खाद्य, दिनांक 18.04.2023 एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक I/228263/2025 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 14396 दिनांक 10.09.2024 के आलोक मे अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 44 दिनांक 29.03.2025 द्वारा समर्पित आदर्श आरक्षण रोस्टर बिन्दु का अनुमोदनोपरांत बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 में वर्णित प्रावधानों के तहत शेखपुरा जिलान्तर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानों की कोटिवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार है :–

क्र0	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0 पि0 वर्ग	पि0 व0	पिछड़ा वर्ग की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12	4	0	0	11	11	74	112

(प्रखंडवार/निकायवार, पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटिवार विवरण सूची संलग्न)

उपरोक्त वर्णित कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति करने हेतु अनुसूची–1 एवं 2 (जो लागू हो) में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 26.06.2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में (10:30 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक) सीधे या निबंधित डाक द्वारा अनुमंडल कार्यालय, शेखपुरा या जिला आपूर्ति कार्यालय, शेखपुरा में स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 26.06.2025 के अप0 02:00 बजे के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक वयस्क होना चाहिए। आवेदक की उम्र दिनांक 25.05.2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु निम्न प्रकार प्राथमिकताऐं होंगी :–
   i. स्वयं सहायता समूह,
   ii. महिलाओं की सहयोग समितियॉं,
   iii. पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉं,
   iv. शिक्षित बेराजगार,
   v. संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. आवेदक द्वारा दुकान / व्यापार स्थल जहॉं के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, के संबंध में निश्चित रूप से आवश्यक दस्तावेज संलग्न करेंगे।
5. आवेदक आर्थिक रूप से सक्षम हो।
6. आवेदन करने हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। संयुक्त परिवार की परिभाषा में पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई आयेंगे।

8. मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
9. आवेदक या उनके निकट संबंधी के पास आटा चक्की नहीं होना चाहिए।
10. आवेदक अवयस्क, पागल, विकृत या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
11. आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो।
12. आवेदक किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित नहीं होना चाहिए।
13. यदि आवेदक आरक्षण का दावा करते है, तो आरक्षण कोटि के साथ संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं /पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।
15. इस विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गये किसी भी प्रकार के कोई आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. पंचायतवार / वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन का विहित प्रपत्र के नमूने की जानकारी आवेदक अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते है। साथ ही साथ कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्रखण्ड / अंचल / समाहरणालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध रहेगा, इसके अतिरिक्त कोटिवार रिक्तियॉ एवं आवेदन प्रपत्र अनुसूची–01 एवं अनुसूची–02 का विहित प्रपत्र जिला के वेबसाईट **www.sheikhpura.bih.nic.in** पर उपलब्ध रहेगा।
17. जन वितरण दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान उच्चाधिकारियों अथवा माननीय न्यायालय का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर आवंटन प्रक्रिया बिना कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा। रद्द दुकान के विरूद्ध निकाले गए रिक्तियों के विरूद्ध दुकान आवंटन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल पर निर्भर करेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा रद्द दुकान बहाल करने का आदेश दिया जाता है तो उस रद्द दुकान के स्थान पर आवंटित नई दुकान की अनुज्ञप्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा।
18. आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण भरा हुआ तथा आवेदन पत्र में गलत/भ्रामक तथ्य पाये जाने पर आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
19. आवेदक द्वारा यदि गलत तथ्य अथवा फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली जाती है तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ ही आवेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता एवं विधि द्वारा स्थापित सुसंगत धाराओं के तहत आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
20. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय चयन समिति, शेखपुरा का निर्णय अंतिम होगा।
21. अनुज्ञप्ति हेतु शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी उपभोक्ता को उचित मूल्य की दुकान पर पहुँचने के लिए अधिकतम 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े।
22. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेघा के आधार पर होगा और उसकी स्थिति अनारक्षित होगी।
23. महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियॉ एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति के आलोक में दुकान का संचालन उनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।
24. आवेदक को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषक क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से, अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी।

25. नियुक्ति में आरक्षण देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के अनुसार दिव्यांगों को 04 (चार) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती, नाती/नतीनी को 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
26. पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शामिल मानी जाएगी।
27. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।
28. "जिला स्तरीय चयन समिति" द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 1000/– (एक हजार) रू0 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा एवं अनुज्ञप्ति फीस जमा करने के पश्चात ही अनुसूची–3 में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।
29. अपरिहार्य कारणवश विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्धारित प्रक्रियाः–

(i) बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2016 की कंडिका–9(viii) के तहत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरान्त रिक्तिवार मेघा क्रमाक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला अपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।

(ii) तत्पश्चात जिला–स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यालय सूचना–पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा के समक्ष लिखित दावा/आपतियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा।

(iii) दावा/आपत्ति प्राप्त होने के अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत् निष्पादन करते हुए जिला–स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूचि प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी।

(iv) अंतिम मेधा सूचि के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरूद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के समक्ष परिवाद दायर कर सकेगे। प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही, सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(v) वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूचि के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी, शेखपुरा विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।

(vi) जिला–स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

नोट :–

i. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) पाँच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दिए कोने में चिपकाना होगा।
ii. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।

iii. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे है।

iv. शैक्षणिक योग्यता / कम्प्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

v. आवेदक को संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा (आरक्षण का दावा करने की स्थिति में जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा)।

vi. सभी कोटि के आवेदक को पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, जो 06 माह से अधिक की अवधि की नहीं होनी चाहिए, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii. एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

viii. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते है, उसका खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ix. अनुसूची – 01 के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम सं0 05 से 13 के संबंध में शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

x. आवेदक द्वारा उपर्युक्त शर्तो को पूर्ण नही किये जाने पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

xi. अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में प्राप्त आवेदनों को तिथिवार पंजी में संधारित कराते हुए आवेदनों के साथ संलग्न कागजातों/प्रमाण–पत्रों का भी पूर्ण विवरण अंकित करायेगे।

xii. अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में प्राप्त आवेदनों एवं उनके साथ संलग्न कागजातों/प्रमाण–पत्रों को दैनिक रूप से स्कैन (**Scan**) करायेगें।

xiii. अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा तिथिवार पंजीकृत आवेदनों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से सबंधित पूर्व विवरण संबंधी प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी सहित आवश्यक कायार्थ उपलब्ध करायेगे।

xiv. अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा आवेदनों एवं संलग्न कागजातों एवं प्रमाण–पत्रों का स्कैन(**Scan**) किये गये विवरण सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक कायार्थ उपलब्ध करायेगे।

20.5.23

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

शेखपुरा जिलान्तर्गत प्रखंडवार/ निकायवार, पंचायतवार/वार्डवार एवं आरक्षण कोटिवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों का विवरण निम्नांकित हैः—

क्र0 सं0	प्रखंड/नगर पंचायत/नगर परिषद्	पंचायत/वार्ड	रिक्ति	क्लियर्ड रोस्टर बिन्दु	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बरबीघा प्रखंड (कुल 12 रिक्ति)	तेउस	1	260– अनु0 जन जाति	अ0पि0व0 का यह बिन्दु अनु0 जन जाति को अनुमान्य कराया गया है।
2		जगदीशपुर	1	261– गैर आरक्षित वर्ग	
3		केवटी	1	262– अनु0 जाति	
4		कुटौत (03)	1	263– गैर आरक्षित वर्ग	
5			1	264– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
6			1	265– गैर आरक्षित वर्ग	
7		सर्वा (02)	1	266– अनु0 जन जाति	अ0पि0व0 का यह बिन्दु अनु0 जन जाति को अनुमान्य कराया गया है।
8			1	267– आ0 रूप से क0 वर्ग	
9		सामस बुजुर्ग (02)	1	268– अनु0 जाति	
10			1	269– गैर आरक्षित वर्ग	
11		मालदह (02)	1	270– अनु0 जन जाति	अ0पि0व0 का यह बिन्दु अनु0 जन जाति को अनुमान्य कराया गया है।
12			1	271– गैर आरक्षित वर्ग	
13	नगर परिषद् बरबीघा (कुल 14 रिक्ति)	वार्ड सं0–03	1	272– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
14		वार्ड सं0–02	1	273– गैर आरक्षित वर्ग	
15		वार्ड सं0–09	1	274– अनु0 जाति	
16		वार्ड सं0–06	1	275– गैर आरक्षित वर्ग	
17		वार्ड सं0–24	1	276– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
18		वार्ड सं0–25	1	277– आ0 रूप से क0 वर्ग	
19		वार्ड सं0–21	1	278– अनु0 जाति	
20		वार्ड सं0–28	1	279– गैर आरक्षित वर्ग	
21		वार्ड सं0–11	1	280– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
22		वार्ड सं0–16	1	281– गैर आरक्षित वर्ग	
23		वार्ड सं0–16	1	282– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
24		वार्ड सं0–17	1	283– गैर आरक्षित वर्ग	
25		वार्ड सं0–18	1	284– पि0व0महिला	
26		वार्ड सं0–20	1	285– गैर आरक्षित वर्ग	

27	शेखोपुरसराय प्रखंड (कुल 01 रिक्ति)	मोहब्बतपुर	1	286– अनु0 जाति	
28	नगर पंचायत, शेखोपुरसराय (कुल 10 रिक्ति)	वार्ड सं0–02	1	287– आ0 रूप से क0 वर्ग	
29		वार्ड सं0–03	1	288– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
30		वार्ड सं0–05	1	289– गैर आरक्षित वर्ग	
31		वार्ड सं0–12	1	290– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
32		वार्ड सं0–13	1	291– गैर आरक्षित वर्ग	
33		वार्ड सं0–08	1	292– अनु0 जाति	
34		वार्ड सं0–04	1	293– गैर आरक्षित वर्ग	
35		वार्ड सं0–07	1	294– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
36		वार्ड सं0–15	1	295– गैर आरक्षित वर्ग	
37		वार्ड सं0–14	1	296– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
38	घाटकुसुम्भा प्रखंड (कुल 06 रिक्ति)	गगौर	1	297– आ0 रूप से क0 वर्ग	
39		डीहकुसुम्भा (03)	1	298– अनु0 जाति	
40			1	299– गैर आरक्षित वर्ग	
41			1	300– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0व0 का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
42		भदौस (02)	1	301– गैर आरक्षित वर्ग	
43			1	302– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
44	शेखपुरा प्रखंड (कुल 16 रिक्ति)	मेहुँस	1	303– गैर आरक्षित वर्ग	
45		औधे (03)	1	304– अनु0 जाति	
46			1	305– गैर आरक्षित वर्ग	
47			1	306– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
48		लोदीपुर (02)	1	307– आ0 रूप से क0 वर्ग	
49			1	308– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
50		कोसरा (02)	1	309– गैर आरक्षित वर्ग	
51			1	310– अनु0 जाति	
52		कुसुम्भा	1	311– गैर आरक्षित वर्ग	
53		कारे	1	312– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
54		कटारी (02)	1	313– गैर आरक्षित वर्ग	
55			1	314– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
56		पुरैना	1	315– गैर आरक्षित वर्ग	
57		कैथवां	1	316– अनु0 जाति	
58		गगरी (02)	1	317– आ0 रूप से क0 वर्ग	
59			1	318– पि0व0महिला	

60	नगर परिषद् शेखपुरा (कुल 24 रिक्ति)	वार्ड सं0–09	1	319– अनु0 जनजाति	
61		वार्ड सं0–21	1	320– पि0व0महिला	अ0पि0व0 का यह बिन्दु पि0व0महिला को अनुमान्य कराया गया है।
62		वार्ड सं0–20	1	321– गैर आरक्षित वर्ग	
63		वार्ड सं0–20	1	322– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
64		वार्ड सं0–15	1	323– गैर आरक्षित वर्ग	
65		वार्ड सं0–08	1	324– अनु0 जाति	
66		वार्ड सं0–17	1	325– गैर आरक्षित वर्ग	
67		वार्ड सं0–17	1	326– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
68		वार्ड सं0–22	1	327– आ0 रूप से क0 वर्ग	
69		वार्ड सं0–25	1	328– अनु0 जाति	
70		वार्ड सं0–07	1	329– गैर आरक्षित वर्ग	
71		वार्ड सं0–13	1	330– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
72		वार्ड सं0–13	1	331– गैर आरक्षित वर्ग	
73		वार्ड सं0–14	1	332– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
74		वार्ड सं0–02	1	333– गैर आरक्षित वर्ग	
75		वार्ड सं0–02	1	334– गैर आरक्षित वर्ग	अनु0 जाति का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
76		वार्ड सं0–01	1	335– गैर आरक्षित वर्ग	
77		वार्ड सं0–03	1	336– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
78		वार्ड सं0–24	1	337– आ0 रूप से क0 वर्ग	
79		वार्ड सं0–23	1	338– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
80		वार्ड सं0–18	1	339– गैर आरक्षित वर्ग	
81		वार्ड सं0–19	1	340– गैर आरक्षित वर्ग	अनु0 जाति का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
82		वार्ड सं0–26	1	341– गैर आरक्षित वर्ग	
83		वार्ड सं0–33	1	342– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
84	अरियरी प्रखंड (कुल 18 रिक्ति)	सनैया (03)	1	343– गैर आरक्षित वर्ग	
85			1	344– गैर आरक्षित वर्ग	
86			1	345– गैर आरक्षित वर्ग	
87		ऐफनी (03)	1	346– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।

88			1	347– आ0 रूप से क0 वर्ग	
89			1	348– गैर आरक्षित वर्ग	अनु0 जाति का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
90		हजरतपुरमड़रो (02)	1	349– गैर आरक्षित वर्ग	
91			1	350– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
92		हुसैनाबाद (03)	1	351– गैर आरक्षित वर्ग	
93			1	352– पि0व0महिला	
94			1	353– गैर आरक्षित वर्ग	
95		डीहा (03)	1	354– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
96			1	355– गैर आरक्षित वर्ग	
97			1	356– गैर आरक्षित वर्ग	अनु0 जाति का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
98		विमान (02)	1	357– आ0 रूप से क0 वर्ग	
99			1	358– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
100		वरूणा (02)	1	359– गैर आरक्षित वर्ग	
101			1	360– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
102	चेवाड़ा प्रखंड (कुल 05 रिक्ति)	एकरामा (02)	1	361– गैर आरक्षित वर्ग	
103			1	362– गैर आरक्षित वर्ग	अनु0 जाति का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
104		लोहान (02)	1	363– गैर आरक्षित वर्ग	
105			1	364– गैर आरक्षित वर्ग	पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
106		छठियारा	1	365– गैर आरक्षित वर्ग	
107	नगर परिषद् चेवाड़ा (कुल 06 रिक्ति)	वार्ड सं0– 03	1	366– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
108		वार्ड सं0– 03	1	367– आ0 रूप से क0 वर्ग	
109		वार्ड सं0– 05	1	368– गैर आरक्षित वर्ग	अनु0 जाति का यह बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।
110		वार्ड सं0– 05	1	369– गैर आरक्षित वर्ग	
111		वार्ड सं0– 09	1	370– गैर आरक्षित वर्ग	अ0पि0 वर्ग का यह बिन्दु अनारक्षित को अनुमान्य कराया गया है।
112		वार्ड सं0– 10	1	371– गैर आरक्षित वर्ग	

नोट :– अनु0 जन जाति– अनुसूचित जनजाति, अनु0 जाति– अनुसूचित जाति, अ0पि0 वर्ग– अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पि0 वर्ग– पिछड़ा वर्ग, आ0 रूप से क0 वर्ग– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**), पि0व0महिला– पिछड़े वर्ग की महिला।

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

अनुसूची – 1

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   - (क) नाम
   - (ख) पिता/पति का नाम
   - (ग) शैक्षणिक योग्यता
   - (घ) उम्र
   - (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   - (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ङ) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची – 2

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....
एवं कार्यालय का पता

1. **महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   (क) नाम एवं प्रकार :
   (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
   (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   (ग) कार्यालय का पता :
   (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
   (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-**
3. **महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-**
   (क) नाम :
   (ख) पिता/पति का नाम :
   (ग) स्थायी पता :
   (घ) पत्राचार का पता :
   (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
   ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   (क) मकान / दुकान संख्या :
   (ख) होल्डिंग नं0 :
   (ग) क्षेत्रफल :
   (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   (ड़) चौहद्दी :
   (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   (छ) ग्राम / शहर :
   (ज) थाना :
   (झ) जिला :
   (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–
   (आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक.......................... को पारित प्रस्ताव संख्या.................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ....की प्रबंध समिति ने ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर	आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम	सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम